11/7/22

शाखा

प्रार्थी वकील श्री ... 5 वर्ष से सत्यकथन
का वाद विद्युत प्रार्थना पत्र के वाद के पेश
करने पर विपक्षी प्रार्थी ... विद्युत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के तथा वादी
का वाद खारिज होने के प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य
नहीं है, ऐसे में वकील श्री का प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया
जाकर दोनों पक्षों को नोटिस के माध्यम
से सम्मन जारी किया जाकर मामले
नियमित करते हुए शीघ्र निस्तारण के लिए
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

अरविन्दीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

अ.नी. - कोमलदेवी
21-7-2022
पदनामकर्ता

सुरेन्द्र सिंह (ना.)
21-7-2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.09.09 16:02:05 IST
Reason: SelfAttested